

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-1/2018/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री देवी लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 30.07.1986 (च.श्रे.क.) है, को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.09.2006 से 5200-20200 व ग्रेड पे 2000 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

६१
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-1/2018/3461

दिनांक : 01/01/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ।
3. श्री देवी लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर